दिनांक 8 नवंबर 2017 को सुबह 11:00 बजे बैठक कक्ष, बराद सदन में आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 8 नवंबर 2017 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष में महाविद्यालय विकास परिषद की आठवीं बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग - अध्यक्ष
   कुलपति
2. श्री देवाशीष पाल - सदस्य
   वित्त अधिकारी
3. डॉ. देवाशीष चौधुरी - सदस्य
   परीक्षा नियंत्रक
4. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद - सदस्य
   डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
5. प्रो. वी. रमा देवी - सदस्य
   डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
6. डॉ. एस. मनिवन्णन - सदस्य
   डीन, छात्र कल्याण
7. श्री डी.के. प्रधान - सदस्य
   निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव
   उच्चतर शिक्षा एवं टेकनीकी शिक्षा, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार
8. श्रीमती केसांग वांगमो भूटिया - सदस्य
   उपाचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग
9. डॉ. सत्यदीप छेत्री - सदस्य
   सह प्राध्यापक, रसायनिकी विभाग
   सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग
10. श्री टी.के.कौल - सचिव
    कुलसचिव

डॉ. प्रेमलता महापात्र, प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय, डॉ. बीणा प्रधान, प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय और प्रो. ए.एस. चंदेल, पुस्तकलायाध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें।

परिषद को बैठक में सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) उपस्थित थे।

सचिव ने कुलपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रो. टी.बी.सुब्बा द्वारा कार्यभार समाप्त करने के बाद प्रो. जे.पी. तमांग द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2017 को कार्यपालक क्षमता में कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बारे में सूचित किया। तत्पश्चात उन्होंने परिषद के नए अध्यक्ष का 'खडा' पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष ने नए सदस्य श्री देवाशीष पाल का भी स्वागत किया, जिन्होंने वित्त अधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया।

अध्यक्ष ने महाविद्यालय विकास परिषद की बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष प्रो. टी.बी. सुब्बा के योगदान के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया, जिनके नेतृत्व में सात बैठकें हुईं और दीर्घकालीन प्रभाव वाली क□ सिफारिशें की गईं। प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए उनके कार्यकाल में क□ प्रणालियां शुरू की गईं।

इसके बाद एजेंडा विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड – 1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी8.1.1: दिनांक 22 मई 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 22 म□ 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों में दिनांक 25 म□ 2017 को वितरित किया गया था। परिषद के किसी भी सदस्यो से को□ टिप्पणी प्राप्त नहीं हु□ है।

एक सदस्य द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में सचिव ने वैधानिक निकायों की बैठकों के विचार-विमर्श और निर्णयों के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को समझाया।

इसके बाद दिनांक 22 म□ 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 25 म□ 2017 को वितरित किए जाने के अनुसार पुष्टि की गयी।

सीडीसी8.1.2: दिनांक 22 मई 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 22 म□ 2017 को आयोजित रिषद की 7वीं बैठक पर कार्रवा□ रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्रवा□ रिपोर्ट नोट की गयी।

खंड– 2

सूचनात्मक विषय

शून्य

खंड – 3

अनुसमर्थन हेतु विषय

शून्य

खंड – 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

सीडीसी8.4.1: नामग्याल तिब्बतीय संस्थान (एनआईटी), देवराली, गंगटोक को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से अस्थायी संबद्धता

निदेशक, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआ□टी) ने 1 अगस्त 2017 के पत्र के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2018-19 से सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ उनके संस्थान के अस्थायी संबद्धता के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्ताव भेजा है। यह बताया गया कि एनआ□टी बौद्ध अध्ययन में दो वर्षीय एमए पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

विचार-विमर्श के बाद शैक्षणिक परिषद को संस्थागत संबद्धता देने के मामले की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, इस संबद्धता को पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नहीं माना जाएँ। किसी भी पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए एनआ□टी को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा और पाठ्यक्रम को सिक्किम विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप करना होगा।

सीडीसी8.4.2: शैक्षणिक सत्र 2018-19 से सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चिसोपानी, साउथ सिक्किम को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से अस्थायी संबद्धता

एचआरडीडी, सिक्किम सरकार ने दिनांक 11 अगस्त, 2017 के पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी और सिविल इंजीनियरिंग विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री की दो शाखाओं के साथ सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की अस्थायी संबद्धता के लिए आवेदन किया था। कुलपति ने यूजीसी विनियम 2009 की धारा 4.6 तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के धारा 11 के तहत एक चार सदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन किया। निरीक्षण समिति ने 22 सितंबर 2017 को संस्थान का दौरा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विचार-विमर्श के बाद और निरीक्षण समिति की सिफारिशों आधार पर म□ 2018 के महीने में एक निरीक्षण समिति भेजने के लिए शैक्षणिक परिषद को निरीक्षण समिति के निरनयों की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था। यदि शर्तों को पूरा किया गया हो, तो संस्थान यात्रा से पूर्व नियोजन की मांग कर सकता है, ताकि संस्थान एआ□सीटी□ में पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन करने की समयसीमा को देखते हुए एआ□सीटी□ को आवेदन कर सके।

सीडीसी8.4.3: शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए नौ (9) महाविद्यालयों के अस्थायी संबद्धता का नवीकरण

विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी -1 के खंड 14 के अनुसार विश्वविद्यालय से अस्थायी रूप से संबद्ध सभी महाविद्यालयों को अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए वार्षिक आधार पर एक निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करवाने की आवश्यकता है। कुलपति ने यूजीसी विनियम 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी -1 की धारा 11 के तहत चार सदस्यीय निरीक्षण समितियों का गठन किया। निरीक्षण समिति ने 18 सितंबर से 25 सितंबर 2017 तक सभी नौ कॉलेजों का दौरा किया और नीचे वर्णित सभी नौ कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सभी नौ महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्टों का सारांश

क्र. सं	महाविद्यालयों का नाम	निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण समिति की टिप्पणी
1.	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग, वेस्ट सिक्किम	18.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
2.	सरकारी वोकेशनल कॉलेज, डेंताम, वेस्ट सिक्किम	18.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
3.	सिक्किम सरकारी बी.एड महाविद्यालय, सोरेंग, वेस्ट सिक्किम	19.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
4.	सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुंग, वेस्ट सिक्किम	19.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
5.	हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीतार, रंगपो, स्ट सिक्किम	20.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
6.	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनोक, स्ट सिक्किम	20.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
7.	नामची सरकारी महाविद्यालय, नामची, साउथ सिक्किम	21.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
8.	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, 6 माइल, तादोंग, गंगटोक, स्ट सिक्किम	22.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग
9.	डंबर सिंह कॉलेज, 6 माइल, तादोंग, गंगटोक, स्ट सिक्किम	25.09.2017	सत्र 2018-19 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफ़ारिश की ग

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए उपरोक्त सभी नौ महाविद्यालयों के अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की मंजूरी के लिए शैक्षणिक परिषद से सिफारिश की।

सीडीसी8.4.4: लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची, साउथ सिक्किम में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शिक्षा में एमए पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता

लोयोला शिक्षा महाविद्यालय ने दिनांक 22 सितंबर 2017 के पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018 से शिक्षा में एमए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन किया था । कुलपति ने यूजीसी विनियम 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी -1 की धारा 11 के तहत पाँच सदस्यीय निरीक्षण समितियों का गठन किया। निरीक्षण समिति ने 27 अक्टूबर 2017 को महाविद्यालय का निरक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विचार-विमर्श करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शिक्षण में एमए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक परिषद को सिफ़ारिश करने का निर्णय लिया गया था।

सीडीसी 8.4.5: आपदा प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ

यूजीसी ने दिनांक 4 अक्टूबर 2017 के पत्र द्वारा उच्च शिक्षा के सभी छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु निवेदन किया है, जिसमें निम्नलिखित उप-शीर्षक शामिल होंगे :

1. बम का खतरा
2. भूकंप
3. धमाका
4. खतरनाक सामग्रियों का फैलना/निकालना
5. कैम्पस शूटिंग
6. आतंकवादी घटना आदि।

विश्वविद्यालय पहले से ही विश्वविद्यालय के पाँच पांच (5) विभागों और सभी संबद्ध महाविद्यालयों में यूजी पाठ्यक्रमों में तीन (3) अनिवार्य पेपर पढ़ाये जा रहे हैं। वे पेपर हैं :

1) अनिवार्य अंग्रेजी,
2) पर्यावरण अध्ययन (□एनवीएस) और
3) □एचएस/एचआर/पीए/जीएस/आ□पीआर

विचार-विमर्श के बाद एचएस/एचआर/पीए/जीएस/आ□पीआर जैसे अन्य अनिवार्य पेपरों के साथ आपदा प्रबंधन पर एक पूर्ण पेपर को शामिल करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

खंड – 5

अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हु□।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव, सचिव

हस्ता/-
(जे.पी.तामांग)
कुलपति एवं अध्यक्ष